ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.3(2)(1)रोल / निर्वा / 2015 / पार्ट–II / **NERP** / 1592 **जयपुर, दिनांक 13.04.2016**

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016, बूथ लेवल अधिकारियों / सुपरवाईजर्स के लिए दिशा–निर्देश।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 07.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 07.04.2016 के द्वारा **"मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान – 2016"** के अन्तर्गत मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों की जॉच, त्रुटियों को सत्यापित करने हेतु बीएलओ द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2016 से दिनांक 15 मई, 2016 के मध्य घर–घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु दिशा–निर्देश दिए गए है।

2. इस अभियान के दौरान बीएलओ / सुपरवाईजर्स द्वारा किए जाने वाले कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए विभाग स्तर पर दिशा–निर्देश तैयार किए गए है जो इस पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे है। कृपया जिला स्तर पर उचित समझा जाए तो इन निर्देशों की प्रतियॉ आवश्यकतानुसार मुद्रित करवाकर इस अभियान के दौरान बीएलओ / सुपरवाईजर्स को उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(हरिशंकर गोयल)
विशेषाधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.3(2)(1)रोल / निर्वा / 2015 / पार्ट–II / छम्त्च / 1592 जयपुर, दिनांक 13.04.2016

प्रतिलिपि उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) जयपुर कृपया उक्त दिशा–निर्देश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

बूथ लेवल अधिकारियों एवं सुपरवाईजर्स हेतु दिशानिर्देश

निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर

1. प्रस्तावना:

1.1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों को साफ सुथरा एवं त्रुटिरहित बनाये जाने की दृष्टि से आई.टी. तकनीक से मतदाता सूचियों में विभिन्न त्रुटियों को चिन्हित कर एवं प्रपत्र 1–8 मतदान केन्द्रवार एवं विधानसभा क्षेत्रवार में सांख्यिकी सूचना का संकलन कर इसका विश्लेषण करने के बाद मतदाता सूचियों की हैल्थ हेतु निर्धारित विभिन्न मापदण्डों में पाए गए अन्तर (gaps) को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु समय–समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है। इसके फलस्वरूप विगत वर्षों की तुलना में मतदाता सूचियॉ साफ सुथरी एवं त्रुटि रहित बनाई जा सकी हैं। भारत निर्वाचन आयोग का इस वर्ष यह उद्देश्य है कि ''कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण से नहीं छूटे तथा मतदाता सूची पूर्णतया त्रुटि रहित हो''।

1.2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माह मार्च, 2016 से 31 अगस्त, 2016 के मध्य ''मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु आयोजित राष्ट्रीय अभियान 2015" की निरन्तरता में संदर्भ तिथि 01.01.2016 के बाद मतदाता सूचियों के दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम प्रकाशन के बाद निरन्तर अद्यतन की अवधि में **''मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016''** देश के सभी राज्यों में 1 मार्च, 2016 से प्रारम्भ किया गया है।

1.3. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची में शत–प्रतिशत मतदाताओं की फोटो मुद्रित हो, शत–प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये जाएं, मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनमें एक से अधिक मतदाताओं को एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र क्रम से पहचान पत्र जारी किया गया है अथवा ऐसे मतदाता जिनकी मतदाता सूची में फोटो स्पष्ट रूप से मुद्रित नहीं है एवं मतदाता सूची के डेटाबेस में से सॉफ्टवेयर के आधार पर त्रुटियों को चिन्हित कर, फील्ड में इनका सत्यापन कर ठीक करवाया जाए। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों में से मृत, स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाए तथा मतदाता सूची के डेटाबेस में मतदाताओं से संबंधित अन्य जानकारी यथा मोबाईल नम्बर, ई.मेल

आई.डी. का संकलन किया जाकर इस कार्य को इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान 31 अगस्त, 2016 तक पूर्ण किया जाए।

1.4. भारत निर्वाचन आयोग ने इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में मृत मतदाताओं के नाम विहित प्रकिया के अनुसार विलोपित करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु कार्यालयों द्वारा मृत/जन्म की सूचना **"पहचान पोर्टल"** पर उपलब्ध है (जिसका लिंक विभाग के वेबसाईट पर दिया गया है), से सूचना प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। (संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **"पहचान पोर्टल"** पर अपने क्षेत्र से संबंधित मृत्त मतदाताओं की सूची प्राप्त कर राष्ट्रीय अभियान के दौरान सूची बीएलओ को उपलब्ध करवायी जाएगी)। बीएलओ इनका सत्यापन कर मृत मतदाताओं के नाम विहित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूची से विलोपित करने की कार्यवाही करेंगे।

1.5. इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में अभी तक पंजीकृत नहीं है विशेषकर 18–19 आयु वर्ग के ऐसे युवा जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो पाए है, उनसे प्ररूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएं तथा मतदाता सूची में यदि गलत नाम दर्ज है तो विलोपन हेतु प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त किए जाएं। इस प्रकार से मतदाता सूची की प्रविष्टि में संशोधन हेतु प्ररूप 8 में आवेदन पत्र प्राप्त किए जाए। उक्त कार्यवाही बी.एल.ओ. द्वारा घर–घर जाकर अथवा मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर, की जायेगी।

2. **बीएलओ/सुपरवाईजर्स का प्रशिक्षण** – दिनांक 10 अप्रैल, 2016 तक बीएलओ/सुपरवाईजर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ/सुपरवाईजर्स को राष्ट्रीय अभियान के दौरान किए जाने कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बीएलो/सुपरवाईजर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रशिक्षण सत्र को गम्भीरता से लेवें तथा अभियान के दौरान किए जाने वाले कार्यों के विषय में किसी प्रकार की शंका हो तो प्रशिक्षण सत्र के दौरान ही इसका निराकरण करावें।

3. **सांख्यिकी सूचना का विशलेषण कर मतदान केन्द्र की कार्ययोजना तैयार करना** – प्रत्येक बीएलओ संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के ऑकड़ों के आधार पर मतदान केन्द्रवार

आँकड़ों का विश्लेषण कर आयोग द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके भाग में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे जिससे अभियान के दौरान विशेष प्रयास कर लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। यदि भाग की मतदाता सूची के 18–19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण कम है, महिलाओं का पंजीकरण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है, जनसंख्या की तुलना में पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कम है, भाग में मृत मतदाताओं के नाम पंजीकृत हैं आदि के विषय में विशेष प्रयास कर कार्यवाही की जाए। बीएलओ से इस क्रम में यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने भाग की जनसंख्या का निर्धारण स्वःविवेक से करे तथा तद्नुसार जनसंख्या/ मतदाता सूची के आंकड़ों का आंकलन कर अभियान के दौरान भाग की मतदाता सूची के विभिन्न निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लाने का प्रयास करें। इस अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके भाग की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं के फोटो मतदाता सूची में मुद्रित हो तथा प्रत्येक मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया हुआ हो।

4. **स्वीप कार्य योजना तैयार करना** – बीएलओ स्वयं अपने मतदान केन्द्र के लिए स्वीप कार्य योजना तैयार करेंगे। इस कार्य योजना के अंतर्गत वह व्यक्तिगत संवाद करके मतदाताओं को प्रेरित करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से प्राप्त प्रचार सामग्री आवश्यक रूप से प्रदर्शित करवाएंगे तथा स्थानीय स्तर पर पंचायत/स्कूल/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/साथिन से सम्पर्क कर निर्वाचन संबंधी विषयों की जानकारी उपलब्ध करवाकर आवश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे। सुपरवाईजर्स उनके अधीन आने वाले क्षेत्र में उपरोक्त ग्रामीण स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से समन्वय कर उनसे अभियान में अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें।

5. **अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों की जॉच के संबंध में निर्देश:**

   5.1 बीएलओ फील्ड में सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भाग की मतदाता सूची का गहनता से अध्ययन करेंगे। इस दौरान वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं मतदाता सूची के क्रमांक के सामने मतदाता का नाम अंकित होने से तो नहीं रह गया है अथवा मतदाता की आयु का कॉलम रिक्त है। इन त्रुटियों को प्रारम्भिक जांच ही में चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लिया जाए साथ ही सॉफ्वेयर के माध्यम से चिन्हित की गई त्रुटियॉ जिनकी प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भागवार उपलब्ध करवायी गई है का भी

सत्यापन किया जाये तथा इसकी सूचना **परिशिष्ट "सी"** में प्रस्तुत की जाए, ताकि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन्हें स्वः विवेक से ठीक कर सके।

5.2 बीएलओ को राष्ट्रीय अभियान, 2016 हेतु दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची – 2016 उपलब्ध करवायी गई है। इस मतदाता सूची में मूल मतदाता सूची–2014 एवं इसके साथ 6 पूरक सूचियाँ संलग्न है। चूंकि संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व मूल मतदाता सूची, 2014 के साथ संलग्न सभी 6 पूरक सूचियों का एकीकरण, प्रारूप प्रकाशन से पूर्व किया जायेगा, इसलिए उनको उपलब्ध करवायी गयी मतदाता सूची की निम्न प्रकार गहनता से जांच करें।

5.2.1 यदि किसी मतदाता का नाम उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सही स्थान पर नही आया है तो उसे सुसंगत क्रम संख्या निम्नानुसार दी जाए। यथा– कोई मतदाता, मतदाता सूची–2016 में क्रम संख्या 413 पर है और उसी परिवार के अन्य सदस्यो का नाम क्रम सं. 205 से क्रम सं. 210 क्रमांक पर मुद्रित है, तो क्रम संख्या 413 के निर्वाचक को सही स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने हेतु क्रम संख्या 413 पर वृत बनाकर निर्वाचक की प्रविष्टि के आगे ई–210/1 अंकित कर दिया जाए। इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि इस मतदाता का नाम क्रम सं. 210 के मतदाता के नीचे स्थानान्तरित करना हैं। जिससे आगामी एकीकरण के दौरान निर्वाचक का नाम क्रम संख्या 210 के नीचे अर्थात क्रम. सं. 211 पर स्थानान्तरित हो जाए।

5.2.2 एक मकान में रहने वाले मतदाताओं के नाम एक साथ नहीं आए हैं तो उन्हें सही स्थान पर लाने के लिए बिन्दु संख्या 5.2.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुसंगत क्रम संख्या दी जाए।

5.2.3 यदि कोई मतदाता सही परिक्षेत्र में नहीं है तो उसे सही परिक्षेत्र में रखे जाने हेतु बिन्दु संख्या 6.2.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुसंगत क्रम संख्या दी जाए। इस प्रकार चिन्हित किए गए प्रकरणों की सूची **परिशिष्ट "सी"** में तैयार की जाए।

6. **मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का घर–घर जाकर सत्यापन करना –** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **बीएलओ दिनांक 20 अप्रैल, 2016 से 15 मई, 2016 के मध्य घर–घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों को सत्यापित करेंगे,** साथ ही विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई त्रुटियों की सूचियों एवं पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु कार्यालय से प्राप्त मृत व्यक्तियों की सूची के अनुसार मतदाता सूची में क्रमशः चिन्हित की गई त्रुटियों एवं मृत मतदाताओं को सत्यापित करेंगे ताकि उनके द्वारा किए गऐ सर्वे के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा तद्नुसार सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। इस विषय में निर्देश निम्न प्रकार से हैं :–

6.1 बीएलओ को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री– मतदाता सूचियों के घर–घर सत्यापन के दौरान बीएलओ को संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ–साथ विभाग स्तर जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची में चिन्हित की गई त्रुटियों की सूची एवं मतदाता सूची में एक ही नम्बर से जारी दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र धारक मतदाताओं की सूची सत्यापन हेतु उपलब्ध करवायी जाएगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **"पहचान पोर्टल"** से मृत मतदाता की सूची का प्रिन्ट भी भागवार बीएलओ को उपलब्ध कराया गया है। यदि पहचान पोर्टल से मृत मतदाताओं की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आदिनांक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है तो तो बीएलओ उनके कार्यक्षेत्र में कार्यरत पंजीयक जन्म एवं मृत्यु कार्यालय से उक्त सूचियॉ प्राप्त करें। इस कार्य में सुपरवाईजर की मुख्य भूमिका रहेगी तथा वह यह भी सुनिश्चित करेंगे की उनको आवंटित भाग के सभी बीएओ के पास मृत व्यक्तियों की सूचियॉ उपलब्ध हैं तथा इस सूची के अनुसार मतदाता सूची में मृत मतदाताओं की मैपिंग की दी गई है। इसके साथ–साथ बीएलओ के पास समुचित संख्या में फार्म 6, 6ए, 7, 8 एवं 8क भी उपलब्ध रहेंगे।

6.2. बीएलओ द्वारा फील्ड सर्वे – बीएलओ दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की प्रति एवं उनके भाग से संबंधित विभिन्न

त्रुटियों की सूची एवं प्ररूप 6, 6ए, 7, 8 एवं 8क के साथ उनके भाग में सभी पंजीकृत मतदाताओं का घर–घर जाकर भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे।

6.2.1. राष्ट्रीय अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ना, संशोधन करना अथवा विलोपित करने की प्रक्रिया निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया है। अतः इस अवधि में किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से जोड़ा जाता है तो उसकी आयु की गणना संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में की जाएगी। यदि कोई युवा दिनांक 1 जनवरी, 2016 के बाद 18 वर्ष का हुआ है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। बीएलओ से ऐसे प्रकरणों में यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को सूचीबद्ध करेंगे तथा संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सम्पर्क कर प्ररूप–6 में आवेदन प्राप्त करेंगे।

6.2.2 बीएलओ द्वारा बंच में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। एक ही परिवार के सदस्यों के एक से अधिक आवेदन पत्र परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

6.2.3 यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की आयु का है तथा उसने पूर्व में कहीं नाम दर्ज नहीं करवाया है तो उसके संबंध में जांच द्वारा उन परिस्थितियों का पता लगाया जावे कि उसने इससे पूर्व अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज क्यों नहीं करवाया है। **अधिकृत अधिकारी इन सब बातों का उल्लेख फार्म 6 में आवेदन की रसीद के ऊपरी भाग जो खाली है, में टिप्पणी अंकित करेंगे। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ऐसे समस्त दावे आपत्तियों के निस्तारण करते समय विस्तृत जांच करवायेंगे।**

6.2.4 यदि व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक आयु का है तथा वह किसी दूसरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानान्तरित हो कर आया है तो उस से पूर्व निवास का पूर्ण पता मय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र यदि उसे जारी हुआ है के क्रमांक का अंकन आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 4 जो घोषणा से संबंधित है, में

करवाया जाए। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उक्त सूचना अंकित नहीं की जाती है तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावें। ऐसे समस्त प्रकरणों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करेंगे ताकि मतदाता का नाम पूर्व में जिस विधान सभा क्षेत्र की सूची में दर्ज था, वहॉ से विलोपित किया जा सके। इस विषय में उसे, उसी विधानसभा के अन्य भाग से स्थानान्तरण या एक भाग में भी निवास परिवर्तन की स्थिति में प्ररूप 6 के बजाय प्ररूप **8क** में आवेदन भरने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।

6.2.5 **प्ररूप 6** के बिन्दु संख्या 2 जो मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियों से संबंधित है के **क्षेत्र/परिक्षेत्र/मौहल्ला इत्यादि का विवरण आवेदक से सही भरवाया जाये जैसा कि संबंधित भाग की प्रारूप मतदाता सूची में दर्शाया गया है।** इसी प्रकार प्रारूप 7, 8 एवं 8क में संबंधित कॉलम में भी विवरण सही भराया जाये।

6.2.6 मकान नम्बर के कॉलम में मकान नम्बर लिखवाये जावें तथा यह भी देखा जाये कि आवेदक ने जो मकान नम्बर अंकित किया है वह मतदाता सूची में अंकित किस मकान नम्बर से संबंध रखता है। यदि किसी मकान में रहने वाला परिवार का कोई सदस्य छूट गया है अथवा नया सदस्य आया है और अब वह मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिये आवेदन करता है तो उसका वही मकान नम्बर लिखा जायेगा जो उसके परिवार के अन्य सदस्यों की प्रविष्टि के आगे लिखा गया हैं। यदि कोई नया मकान बन गया है तो उस मकान की पहचान के लिये **क, ख** लिखा जाएगा अर्थात यदि **मकान संख्या 33 और 34 के बीच नये मकान बन गये है तो उन्हे 33क, 33ख, 33ग** इत्यादि क्रम संख्या के रूप में लिखा जायेगा।

6.2.7 सभी आवेदन पत्र एक रजिस्टर के रूप में क्रमवार दर्ज किये जायेगें। प्रत्येक आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को **पावती रसीद** दी जायेगी। इस हेतु प्ररूप **6, 6ए, 7, 8 एवं 8क** के साथ ही रसीद

मुद्रित है। अधिकृत अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र की रसीद देने के समय रजिस्टर की क्रम संख्या और भाग संख्या का अंकन कर आवेदनकर्ता को रसीद देंगे और उसके आवेदन पत्र पर भी रजिस्टर की क्रम संख्या एवं भाग संख्या अंकित करेंगे यथा 6/25 (6 क्रम संख्या है जबकि 25 भाग संख्या है)। रसीद के अन्य ब्यौरे सुपाठ्य और शुद्ध भरे जाए।

6.2.8 मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के लिये **प्ररूप 6** में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में यदि मतदाता को पूर्व में मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हुआ है तो आवेदक द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र की क्रम संख्या एंव जारी करने की तारीख अंकित की जायेगी। **ऐसे मामलों में अधिकृत अधिकारी द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र को देखा जाकर सत्यापन किया जायेगा और बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या वाले कॉलम में सही का निशान (√) लगाकर सत्यापित लिखा जाए।** प्ररूप 8 में मतदाता सूचियों में प्रविष्टियों के शुद्धियों के लिए आवेदन किया जाएगा। इस प्ररूप के बिन्दु संख्या 4 में शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का उल्लेख किया गया हैं। यदि कोई मतदाता यह आक्षेप करता हैं कि मतदाता सूची में उसके नाम के साथ सभी प्रविष्टियॉ शुद्ध है किन्तु फोटो गलत मुद्रित है तो इस आक्षेप हेतु प्ररूप 8 के कालम 4 में अंकित अन्य विशिष्टियों के आगे तद्नुसार सशोधन करते हुए आवेदन प्राप्त किया जाए।

6.2.9. बीएलओ उनको प्ररूप 6, 6ए, 7, 8 एवं 8क में प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों में यथा स्थान स्पष्ट एवं सुपाठ्य शब्दों में अपनी टिप्पणी अंकित करेगें। यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से ऑनलाईन आवेदन पत्र जॉच एवं आवेदक के हस्ताक्षर हेतु प्राप्त होते हैं तो तद्नुसार मौके पर जाकर आवेदक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उसके हस्ताक्षर करवायेंगे तथा आवश्यक जॉच के उपरान्त अपनी टिप्पणी के साथ आवेदन पत्र पुनः निर्णय हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेंगे।

6.2.10 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रपत्र 6, 6ए, 7, 8 एवं 8क में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में किए जाने वाले हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी के नीचे अपना मोबाईल नम्बर/ईमेल आईडी अंकित करने हेतु कालम निर्धारित किया गया हैं। यदि वह स्वेच्छा से इन कालम की पूर्ति करता हो तो करवायी जाए। उसे उक्त सूचना प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा मतदाताओं की जानकारी हेतु महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आवेदक को दी जाने वाली रसीद के पीछे की ओर बीएलओ का नाम व मोबाइल नम्बर एवं अन्य सूचना अंकित कर आवेदक को दिए जाने के निर्देश दिए है। विभाग द्वारा अभी हाल ही नये आवेदन पत्रो का मुद्रण करवाया है उसमें उक्त सूचना भी मुद्रित है। पूर्व में मुद्रित फार्मो में उक्त सूचना का अंकन सील लगाकर अंकित करने के निर्देश दिए हैं। कृपया विभिन्न आवेदन पत्रो पर उक्त सूचना का मुद्रित होना सुनिश्चित कर लें। यदि उक्त सूचना मुद्रित नहीं है तो हस्तलिखित सूचना अंकित की जाए।

6.2.11 **पूर्व में पंजीकृत मतदाताओं की ईमेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त करना** – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान– 2016 के दौरान मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी. की सूचना **स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित** की जानी है। आप द्वारा उक्त सूचना का संकलन गत् वर्ष मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण (**NERPAP**) हेतु आयोजित राष्ट्रीय अभियान के दौरान **परिशिष्ट 'ए'** में किया गया था। चूँकि गत् वर्ष सत्यापित की गई सूचना के आधार पर मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी. की डेटा एन्ट्री मतदाता सूची के डेटाबेस पर नहीं की गई है तथा उक्त सूचना अब पुरानी हो गई है इसलिए इस सूचना को वर्तमान में राष्ट्रीय अभियान

के दौरान संकलित किया जाना है। उक्त सूचना के लिए **परिशिष्ट 'ए'** का निर्धारण किया गया है।

6.2.12 **मतदाता सूची में नामों का विलोपन/आक्षेपों के प्ररूप 7 के सम्बन्ध में** :यदि किसी भाग या मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के नाम हटाये जाने हेतु आवेदन पत्र **प्ररूप 7** प्राप्त होते हैं तो उनकी जांच की जाए। **प्ररूप 7 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर बीएलओ द्वारा सरसरी जॉच कर टिप्पणी अंकित की जाएगी। इस विषय में यह भी ध्यान रखा जाए की प्रारूप–7 में आक्षेप करने वाला आक्षेपकर्ता उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता है यदि किसी पंजीकृत मतदाता द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरित/बोगस मतदाता के बारे में सूचना दी जाती है तो उससे प्ररूप–7 में आक्षेप प्राप्त किया जाए।**

6.2.13 बीएलओ एक बार घर–घर जाकर पुनः मृत, स्थानान्तरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को चिन्हित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के सभी मतदाताओं को चिन्हित कर लिया गया है। मतदाता सूची में मृत/स्थानान्तरित एवं दोहरी प्रविष्टियो वाले मतदाताओ कों चिन्हित कर सूची **परिशिष्ट–बी** तैयार की जाए। जिससे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आगामी कार्यवाही कर सके।

6.2.14 घर–घर सर्वे के दौरान यदि किसी ऐसे अप्रवासी भारतीय की जानकारी मिले जिसका नाम कहीं मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो तो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए उसके परिवार के सदस्यों को खाली फार्म नम्बर 6ए देंवे जिससे वे अप्रवासी को भरने हेतु प्रेषित कर सके। यह फार्म विभाग की वेबसाइट **www.ceorajasthan.nic.in** से भी डाउनलोड़ किया जा सकता है।

7. **एक ही कमांक के दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र धारक मतदाताओं के संबंध में –** राज्य में विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिन्हें कि एक ही नम्बर/क्रमांक से दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, की सूची आपको निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। विधानसभावार/भागवार इस सूची में समान मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित मतदाताओं की प्रविष्टि के साथ–साथ उनकी फोटो भी मुद्रित की गई है। इस सूची में

मतदाता की फोटो के ऊपर संबंधित मतदाता की विधानसभा क्षेत्र का नम्बर एवं भाग संख्या मुद्रित है जिससे मतदाता सूची में संबंधित मतदाता की प्रविष्टि ज्ञात की जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची की जॉच निम्न प्रकार से की जानी है।

7.1. बीएलओ उनको उपलब्ध करवायी गई सूची का गम्भीरता से अवलोकन करें। इस क्रम में प्रथम सम्भावना यह हो सकती है कि एक ही क्रमांक से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र धारित मतदाताओं में से कुछ मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता सूची में दोहरी दर्ज हैं, जिस वजह से इन मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का चिन्हिकरण दोहरे मतदाता फोटो पहचान पत्र के रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार से चिन्हित किये गये उक्त मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता सूची में एक स्थान से विलोपित की जानी है, जिससे न केवल इन मतदाताओं की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि विलोपित होगी, अपितु इन मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र क्रमांक भी दोहरे पहचान पत्र क्रमांक की सूची में से हट जायेंगे। ऐसे मतदाताओं की मतदाता सूची में से एक स्थान से प्रविष्टि विलोपित करते समय मतदाता को यह अवसर दिया जा सके कि वह अपना नाम मतदाता सूची में किस स्थान पर रखना चाहता है। इसके पश्चात् ही अन्य स्थान से उक्त मतदाता का नाम निर्धारित प्रक्रियानुसार विलोपित किया जा सके।

7.2. इस सूची में द्वितीय सम्भावना यह हो सकती है कि समान पहचान पत्र क्रमांक वाले दोनो मतदाता भिन्न–भिन्न हों परन्तु सहवन से उनकी प्रविष्टि में एक ही मतदाता की फोटो एवं पहचान पत्र क्रमांक दर्ज कर दिये हों। ऐसी स्थिति में जिस मतदाता की प्रविष्टि के साथ गलत फोटो मुद्रित पायी जाती है, उस मतदाता की नई/सही फोटो प्ररूप 8 में एकत्रित करें ताकि पूरक–7 के संशोधन पार्ट के माध्यम से इसे अपलोड कर उक्त मतदाता को नये यूनिक नम्बर से नया पहचान पत्र निःशुल्क जारी किया जा सके।

7.3. इस सूची में तृतीय सम्भावना यह हो सकती है कि समान पहचान पत्र क्रमांक वाले दोनो मतदाता भिन्न–भिन्न हों एवं मतदाता सूची में उनकी फोटो भी सही–सही मुद्रित हो परन्तु सहवन से उनकी प्रविष्टि में एक ही मतदाता पहचान पत्र क्रमांक दर्ज कर दिये हों। ऐसी स्थिति में जिस मतदाता को बाद में फोटो पहचान पत्र

जारी किया गया है उस मतदाता को नये यूनिक नम्बर से नया मतदाता फोटो पहचान पत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा।

7.4. मतदाता सूची के फील्ड में सर्वे के दौरान बीएलओ से यह भी सत्यापित करेंगे कि यदि मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि के सामने उनकी फोटो मुद्रित नहीं है (ऐसा इसलिए है कि उसे अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है) अथवा गलत मुद्रित है तो इन मतदाताओं से प्ररूप 8 में मय उक्त मतदाता की फोटो के आवेदन पत्र प्राप्त किया जाए। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची में मतदाता की फोटो भी एक प्रविष्टि है। यदि इसे मतदाता सूची में मुद्रित किया जाता है तो यह भी एक संशोधन है जिसे प्ररूप 8 में संबंधित मतदाता से आवेदन पत्र प्राप्त कर करवाया जाना वांछनीय है। आवेदन पत्र स्वीकृत होने की स्थिति में मतदाता का फोटो संशोधन की पूरक सूची–7 में सम्मिलित होगा। तद्नुसार संबंधित मतदाता को निःशुल्क मतदाता फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को **परिशिष्ट "डी"** के अनुसार सूचीबद्ध किया जाये।

8. जिला निर्वाचन अधिकारी अभियान की अवधि में उनके द्वारा जिले में किसी भी एक दिन तिथि निर्धारित (अवकाश के दिन) वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करवा कर मतदाता सूची की प्रविष्टियों का पठन करवायेंगे जिससे पंजीकृत मतदाता अपनी प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक संशोधन करवा सकें, साथ ही मृत/स्थानान्तरित मतदाताओं की जानकारी प्राप्त हो सके। वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठक कर तिथि का निर्धारण कर जिला स्तर पर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। बीएलओ/सुपरवाईजर्स जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिनांक को आयोजित होने वाली वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक रूप से भाग लेवें। निर्धारित तिथि की जानकारी से विभाग को भी अवगत कराया जाए।

9. बीएलओ घर–घर जाकर सत्यापन के दौरान मतदाता सूची में अंकित क्षेत्र व परिक्षेत्र का भी सही ढंग से सत्यापन करेंगे। यदि एक ही परिक्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को अलग–अलग परिक्षेत्रों में दर्शा रखा हो तो उनको सही परिक्षेत्र में शामिल करवायेंगे। इसी प्रकार पूरे क्षेत्र का सही नजरी नक्शा भी तैयार करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाते हुए सभी परिक्षेत्रों एवं मतदान केन्द्रों को भी दर्शायेंगे।

10. **विशेष अभियान की तिथि** – मतदाता सूचियों के राष्ट्रीय अभियान के दौरान दिनांक 01 मई, 2016 को विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस दिन बीएलओ घर–घर जाकर सत्यापन की कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके स्थान पर वह प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे, साथ ही गत् पुनरीक्षण कार्यकम के दौरान जिन मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बीएलओ राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। बीएलओ विशेष अभियान तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे।

11. **पर्यवेक्षक का कार्य :** पर्यवेक्षकगण बीएलओ द्वारा किए जाने वाले कार्य की निगरानी के लिए नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक का दायित्व होगा कि वह बीएलओ को सौंपे गये कार्यो का पर्यवेक्षण और समन्वय का कार्य करेंगे। मुख्य रूप से पर्यवेक्षकों द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाने हैं।

11.1. बीएलओ द्वारा सत्यापन सूची का सत्यापन कार्य एवं वार्ड सभा की कार्यवाही विभाग के निर्देशानुसार समय पर सम्पादित की जा रही है।

11.2. प्राप्त आवेदन पत्रों प्ररूप 6, 6ए, 7, 8 एवं 8क की रसीद मय सूचना अंकित करते हुए आवेदनकर्ताओं को प्रदान की जा रही है।

11.3. विशेष अभियान की तिथि के दिन बीएलओ निर्दिष्ट स्थानों एवं निर्धारित समय पर उपस्थित रहे और शेष दिवसों में घर–घर जाकर सत्यापन का कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं ?

11.4. वार्ड सभा की कार्यवाही निर्दिष्ट स्थानों पर विभाग के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।

11.5. बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है।

11.6. अभियान के दौरान यदि बीएलओ के सम्बन्ध में अथवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी प्राथमिक जांच कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराए।

11.7. कार्य समाप्ति पर सम्बन्धित रिकार्ड को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करते हुए सुव्यवस्थित रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में

तत्काल जमा कराया जाए। अन्य दायित्व जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौपे जाए की पालना सुनिश्चित करायी जाए।

11.8. अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को नियमित रूप से समय–समय पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्णय हेतु उपलब्ध करवायेंगे। इस प्रकार की कार्यवाही ऑनलाईन ERMS के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के क्रम में की जावे ताकि बीएलओ द्वारा इन आवेदन पत्रों की जॉच निर्धारित समय में की जाकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्णय हेतु प्रेषित किए जा सकें।

12. अभियान कार्यवाही का पर्यवेक्षण :

राष्ट्रीय अभियान–2016 की कार्यवाही का पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नियुक्त अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं आयोग द्वारा नियुक्त रोल पर्यवेक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रमण कर बीएलओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करेंगे। बीएलओ को यदि अपने काम के निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई आती है तो वे सबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

13. निर्वाचन अपराधों के बारे में चेतावनी :

किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता हैं और ऐसी किसी भी सूचना का दिया जाना जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का उसे विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय किया जा सकता है।

14. कार्य समाप्ति पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लौटाए जाने वाले दस्तावेज :

दिनांक 15 मई, 2016 के तुरन्त बाद निम्न अभिलेख/ दस्तावेज निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में सुव्यवस्थित तरीके से संभलाये जाएंगे :–

1.	प्ररूप 6, 7, 6ए, 8 एवं 8क (प्राप्त आवेदन पत्र)
2.	मतदान केन्द्रवार मतदाता के ई.मेल आई.डी./मोबाईल नम्बर की सूचना हेतु **परिशिष्ट–ए** में संकलित सूचना
3	**परिशिष्ट "बी"** – मतदान केन्द्रवार, मृत/दोहरी प्रविष्टियॉ जो संकलित की गई
4.	मतदाता सूची में पंजीकृत ऐसे मतदाता जिनका नाम परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं है तथा उन्हें एकीकरण के समय यथा स्थान लाया जाना है अथवा सत्यापित की गई अन्य त्रुटियों की सूची – **परिशिष्ट "सी"** के अनुसार
5.	मतदाता सूची में एक ही क्रमांक वाले दोहरे मतदाता एवं अन्य सूचना – **परिशिष्ट "डी"**

15. अनुशासनात्मक कार्यवाही :

उक्त अधिनियम की धारा **"13गग"** में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीगण, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया गया है, **भारत के निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीगण उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे**। बीएलओ और पर्यवेक्षक भी उपर्युक्त उपबंध के अन्तर्गत आएंगे। बीएलओ और पर्यवेक्षक उक्त अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों को भी ध्यान में रखेंगे जिनमें यह परिकल्पित है कि **यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसक्त या किसी प्रविष्टि को उस सूची में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसक्त किसी पदीय कर्त्वय के पालन के लिए अपेक्षित है, ऐसे पदीय के कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्य लोप का दोषी युक्तियुक्त हेतुक के बिना होगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह से कम की नहीं होगी किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।**

अभियान के दौरान यदि किसी बीएलओ, पर्यवेक्षक या इस कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी के विरूद्ध पुष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा यदि किसी बीएलओ या पर्यवेक्षक

ने अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तो ऐसे मामलों मे भारत निर्वाचन आयोग का दृष्टिकोण कठोर होगा। **ऐसे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।**

उक्त दिशा–निर्देशों की एक प्रति प्रत्येक बीएलओ के पास कार्य स्थान पर उपलब्ध रहेगी।

परिशिष्टि –'ए'

मतदाता से संबंधित ई–मेल आई.डी./मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त करने हेतु

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम : ..... भाग संख्या : .....

1. मतदाता का नाम :
2. मतदाता सूची का क्रमांक :
3. मतदाता फोटो पहचान पत्र नम्बर :
4. ई.मेल आई.डी. :
5. मोबाईल नम्बर :
6. मोबाईल का प्रकार – सामान्य/स्मार्ट फोन :
7. टेलीफोन नम्बर (STD कोड सहित) :

दिनांक :

मतदाता के हस्ताक्षर

नोटः मतदाता से संबंधित ई.मेल/मोबाईल नम्बर की सूचना आयोग के निर्देशानुसार स्वेच्छा से प्राप्त की जानी है।
दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाता फोटो पहचान नम्बर अंकित किया जाए।

.....

परिशिष्टि –'ए'

मतदाता से संबंधित ई–मेल आई.डी./मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त करने हेतु

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम : ..... भाग संख्या : .....

1. मतदाता का नाम :
2. मतदाता सूची का क्रमांक :
3. मतदाता फोटो पहचान पत्र नम्बर :
4. ई.मेल आई.डी. :
5. मोबाईल नम्बर :
6. मोबाईल का प्रकार – सामान्य/स्मार्ट फोन :
7. टेलीफोन नम्बर (STD कोड सहित) :

दिनांक :

मतदाता के हस्ताक्षर

नोटः मतदाता से संबंधित ई.मेल/मोबाईल नम्बर की सूचना आयोग के निर्देशानुसार स्वेच्छा से प्राप्त की जानी है।
दिनांक 11 जनवरी, 2016 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाता फोटो पहचान नम्बर अंकित किया जाए।

परिशिष्टि –'बी'

बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनको आवंटित भाग की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों के संबंध में सूचना, जिसकों कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

जिले का नाम _____

विधानसभा क्षेत्र का नाम _____

भाग संख्या _____

मतदान केन्द्र का नाम _____

क्र. सं.	भाग में मुद्रित दोहरी प्रविष्टि/मृत मतदाता/स्थानांतरित मतदाता का मतदाता सूची में कमांक	दोहरी प्रविष्टि/मृत मतदाता को सत्यापित करने के बाद विलोपित की जाने वाली प्रविष्टि का कमांक	विशेष
1	2	3	
	(अ) दोहरी प्रविष्टि		
	(ब) मृत मतदाता		
	(स) स्थानान्तरित मतदाता		

बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उनको आवंटित भाग की मतदाता सूची में चिन्हित/सत्यापित की गई त्रुटियों का ब्यौरा, जिसकों कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

जिले का नाम _____

विधानसभा क्षेत्र का नाम _____

भाग संख्या _____

मतदान केन्द्र का नाम _____

क्र. सं.	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	त्रुटि का विवरण	वर्तमान में मतदाता सूची में प्रविष्टि का विवरण	सत्यापन के बाद ठीक कराई जाने वाली त्रुटि का विवरण
1	2	3	4	5

नोटः

1. बूथ लेवल अधिकारी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उनको आवंटित भाग की सूची का गहनता से अध्ययन करेंगे। अध्ययन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि मतदाता की प्रविष्टि के सामने मतदाता का नाम अंकित नहीं है या नाम के स्थान पर कोई नम्बर अंकित है या अन्य कोई प्रविष्टि अंकित है तो उनको चिन्हित कर विलोपित करने हेतु टिप्पणी प्राप्त करेंगे।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर चिन्हित की गई त्रुटियों को सत्यापित करने के बाद तद्नुसार संशोधन करने हेतु उपरोक्त प्रारूप में सूचना प्राप्त करेंगे।
3. यदि किसी भाग में परिवार का कोई सदस्य परिवार के साथ अंकित नहीं है तो ऐसे संशोधन भी इसी परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए जाएं।

नाम व हस्ताक्षर
पर्यवेक्षक

नाम एवं हस्ताक्षर
बीएलओ

परिशिष्टि –'डी'

बूथ लेवल अधिकारी द्वारा एक ही कमांक के दो मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने से संबंधित सूचना, जिसको कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

जिले का नाम _____

विधानसभा क्षेत्र का नाम _____

भाग संख्या _____

मतदान केन्द्र का नाम _____

क.सं.	मतदाता सूची में दोहरी मतदाता फोटों पहचान पत्र धारकों का कमांक	उन मतदाताओं का कमांक जिनको बाद में मतदाता फोटों पहचान पत्र जारी किया जाना है अथवा विलोपित किया जाना है
1	2	3

नोटः

1. जिस मतदाता को बाद में मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हुआ है, उनको नए कमांक का फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने बाबत उनसे प्रपत्र 8 में फोटो प्राप्त कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए ताकि उन मतदाताओं को नया मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया जा सके।